निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 62/2024
दायरा दिनांकः—24.07.2024
निर्णय दिनांकः— 17.6.25

उनवान

1.नवलसिंह आयु 45 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा
2. बहादुरसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा
3. शीला बाई आयु 32 वर्ष पुत्री गोपाल जाति मीणा
4. रसीला बाई आयु 29 वर्ष पुत्री गोपाल जाति मीणा
5. सुशीला बाई आयु 27 वर्ष पुत्री गोपाल जाति मीणा
6. सुनीता बाई आयु 25 पुत्री गोपाल जाति मीणा
7. कन्या बाई आयु 70 वर्ष पिधवा पत्नि गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम रसुलपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. ओमप्रकाश आत्मज हरिप्रसाद जाति मीणा
2. बाबूलाल आत्मज कान्हा जाति मीणा
3. भगवान आत्मज कान्हा जाति मीणा
4. संतोष आत्मज हरिप्रसाद जाति मीणा
5. गुड्डी बाई विधवा हरिप्रसाद जाति मीणा
6. चम्पा बाई विधवा पत्नि कान्हा जाति मीणा निवासीगण ग्राम रसुलपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—17.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश कुमार सोनी— प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 (2) आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियात वाके माल ग्राम रसूलपुरा तहसील छबड़ा में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070 अंतिम चौसाला 2079 के अनुसार खाता संख्या 15/15 के अनुसार अन्य भूमियात के साथ—साथ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खसरा नंबर 152/2 रकबा 3.5410 है० यानि 14 बीघा, इसी प्रकार जमाबंदी, ग्राम व संवत् उक्तानुसार खाता संख्या 14/14 के अनुसार खसरा नंबर 153 रकबा 2.4913 है० यानि 09 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो नक्शा ट्रेस के अनुसार दोनों भूमियात पास–पास है। जिनकी एक ही मेड़ है, प्रार्थी कम 1, 2 व 7 के मध्य तीन हिस्सों में आपसी सहमति से पिता/पति के समय से ही बंटवारा हो रहा है। प्रार्थी कम 1 का हिस्सा लगभग दोनों खसरा नंबरान में 08 बीघा का था, जो उक्त खसरा नंबरान के दक्षिणी तरफ का पूर्व से पश्चिम तक था, जिसे प्रार्थी ने मुनाफा काश्त करने के लिए वर्ष 2022 में लगभग 08 बीघा प्रार्थी कम 1 के हिस्से की भूमि 10000/– रुपए प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से मौखिक रूप से काश्त करने के लिए दो वर्षों के लिए आखातीज वर्ष 2025 तक के लिए अप्रार्थीगण को दी थी। मुनाफा राशि अदा करना था व कब्जा प्रार्थी कम 1 को संभलाना था। प्रार्थीगण की भूमियात मुताबिक जमाबंदी शामलाती में दर्ज होने के कारण सभी खातेदारों की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी कम 1 के हिस्से की भूमि को छोड़ने कब्जा प्रार्थी कम 1 को संभलाने व मुनाफा राशि देने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हुए और ना ही मुनाफा राशि कुल दो वर्षों की 1,60000/–रुपए भी नहीं दिए और प्रार्थी कम 1 की भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करके काश्त कर रहे हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण लड़ाकू–झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है, जबकि प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है। अप्रार्थीगण जबरन लठ व ताकत के बल पर प्रार्थीगण की भूमियात पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर अप्रार्थीगण से कब्जा प्राप्त कर प्रार्थीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रसुलपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 14 नकल जमाबन्दी ग्राम रसुलपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 15 नकल नक्शा ट्रेस नकल नक्शा ट्रेस नकल मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाल लाल मीणा पेश किया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रसुलपुरा तहसील छबडा में स्थित है। नक्शा ट्रेस के अनुसार दोनो भूमियात पास–पास है। जिनकी एक ही मेड है प्रार्थी क्रम 1,2, व 7 के मध्य तीन हिस्सों में आपसी सहमति से पिता के समय से ही बटवारा हो रहा था प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा खसरा नम्बर 152, 153 दोनो में 8 बीघा था जो उक्त खसरा नम्बरान के दक्षिणी तरफ का पूर्व से पश्चिम तक था जिसे प्रार्थी ने मुनाफा काश्त करने के लिए वर्ष 2022 में अपने हिस्ससे की भूमि 10,000/– प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से मौखिक रूप से काश्त करने के लिए दो वर्षो के लिए वर्ष 2023 तक के लिए अप्रार्थीगण को दी थी। अप्रार्थी मुनाफा काश्त अदा नही करता है और ना ही कब्जा सम्भलाया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी भूमि से कब्जा नही छोड रहा है और ना ही भूमि की मुनाफा राशी अदा कर रहा है प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करके काश्त कर रहे है अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी को रिसीवर किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 152/2 रकबा 14 बीघा भूमि संयुक्त रूप से काश्त की जाती थी। जिसे प्रार्थी के पिता गोपाल के नाम दिनांक 15.02.1963 को आवटंन कर दिया गया। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया। उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा/परदादा हीरालाल व मोहनलाल द्वारा अपने परिवार की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का आपसी बटवारा कर दिया भूमि खसरा नम्बर 152/2 रकबा 3.5410 है0 खसरा नम्बर 153 रकबा 2.4903 है0 भूमियात अप्रार्थीगण के पिता/दादा अमरचन्द कान्हा, गोरिया के हिस्से में आई जिसे लगभग 100 वर्ष हो चुके है। वर्तमान में भी उक्त भूमियात के चारों तरफ अप्रार्थीगण द्वारा तारबन्दी कर रखी है तथा अप्रार्थीगण द्वारा ही काश्त की जा रही है खसरा नम्बर 152/2 व खसरा नम्बर 153 दोनो भूमियात संयुक्त रूप से स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है अप्राथीगण पूर्वजों के समय से काश्त करतें चले आ रहे है उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार पूर्वजो की सम्पति होने से प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथा मुनाफा काश्त वाक्त दर्ज कर यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रसुलपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 15 के अनुसार प्रार्थीगण का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की है। चूंकि मूलदावा आरटीए की धारा 183, 188 के तहत पेश किया गया है। जिसका निस्तारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर नियमानुसार बेदखली करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी परन्तु दौराने वाद इस न्यायालय का अभिमत है कि वर्तमान में कब्जे से छेडछाड कर रिसीवरी करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा